

22/9/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय त्रयोदय सम्मल पखवाडा 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....कसरकरी.....

दिनांक :- 27/9/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कसरकरी व भू-अभिलेख निरीक्षक दुमथ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुकरण में ग्राम कसरकरी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 91 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>कसरकरी</u>	91	<u>नानुराम पि. नौला कीर</u>	<u>नानालाल पुश नौला कीर</u>

(कसरकरी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 27/9/25

क्रमांक / .....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, .....को भेज कर लेख है कि देशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



(कसरकरी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़